

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर 2015—आश्विन 2, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.4	ग्रामीण स्वसहायता समूहों की ग्रेडिंग करना।	जिला परियोजना प्रबंधक (एनआरएलएम हेतु चयनित जिलों के लिए)/  मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (एनआरएलएम के अतिरिक्त अन्य जिलों हेतु).	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।	15 कार्य दिवस।	कलेक्टर
			30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।	15 कार्य दिवस।	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव।